

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/ले.टे./ /2018/ 146

दिनांक : 22.2.18

आदेश

श्री हनीफ आजाद, वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन, सामु0स्वा0केन्द्र, आमेर (जयपुर) को स्वयं के खर्चे पर उमरा हज यात्रा एवं इंडोनेशिया के धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिये 4 माह विदेश जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर एतद् द्वारा प्रदान की जाती है कि:-

1. कार्मिक विदेश पर प्रस्थान करने से पूर्व सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृत करायेगें।
2. विदेश जाने हेतु किसी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
3. अवकाश समाप्ति के पश्चात अपनी ड्यूटी पर अविलम्ब उपस्थित होंगें।
4. विदेश में किसी प्रकार का रोजगार एवं नियोजन स्वीकार नहीं करेंगें।
5. विदेश प्रवास के दौरान राज्य सेवा से त्याग पत्र एवं स्वेच्छिक सेवानिवृति स्वीकार नहीं की जावेगी।
6. विदेश में हज यात्रा की अवधि में कर्मचारी देशद्रोह से संबंधित गतिविधियों में भाग नहीं ले सकेगा।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज. जयपुर

क्रमांक :- ई-33/ले.टे./ /2018/ 146

दिनांक : 22.2.18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-3) विभाग को उनके आई.डी. क्रमांक 223 दिनांक 14.02.18 के संदर्भ में।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-प्रथम।
3. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामु0स्वा0केन्द्र, आमेर (जयपुर)।
4. श्री हनीफ आजाद, वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन, को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज. जयपुर